

फा.सं. ई-11011/1/2018-हिन्दी

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2020

कार्यालय जापन

विषय: 'भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना: वर्ष 2018-19' के अंतर्गत प्रविष्टियों को आमंत्रित करना।

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन तथा इन्हीं विषयों पर अन्य भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस पुरस्कार योजना का नाम 'भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना' है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित दो श्रेणियों में प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं:-

- (क) भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए; तथा
(ख) भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए।

2. पुरस्कार :-

इस योजना के अंतर्गत दोनों श्रेणियों के लिए निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

श्रेणी	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार
1. मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार राशि	1,00,000/- रुपए	70,000/- रुपए	50,000/- रुपए
2. अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार राशि	50,000/- रुपए	40,000/- रुपए	30,000/- रुपए

3. पात्रता :-

इस योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

4. योजना अवधि:-

इस योजना में विगत पांच वित्तीय वर्षों 2014-15 से 2018-19 (अर्थात् 01-04-2014 से 31-03-2019 तक) के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत केवल मुद्रित पुस्तकें ही स्वीकार्य होंगी।

5. सामान्य शर्तें :-

- (i) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की होनी चाहिए।
- (ii) पुस्तक, विषय के बारे में विश्लेषणात्मक समीक्षा होनी चाहिए। पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकें पात्र नहीं होंगी।
- (iii) जिस पुस्तक को भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की किसी योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हो, उसे इस योजना के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iv) इस योजना के अंतर्गत पहले भेजी गई पुस्तक को दोबारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (v) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।

6. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :-

- (i) इस योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों (पुस्तकों) का मूल्यांकन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।
- (ii) पुरस्कारों का निर्णय मंत्रालय के द्वारा गठित मूल्यांकन और पुरस्कार समिति द्वारा किया जाएगा।
- (iii) यदि किसी वर्ष के दौरान कोई पुस्तक पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो पुरस्कार समिति पुरस्कार न देने अथवा प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में एक समुचित राशि प्रदान करने का निर्णय ले सकती है।
- (iv) पुरस्कार प्रदान किये जाने के बारे में पुरस्कार समिति का निर्णय अंतिम होगा।

7. पुरस्कारों की घोषणा और पुरस्कार वितरण :-

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा दी जायेगी तथा इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- (ii) पुरस्कारों की घोषणा के उपरांत मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह/हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
- (iii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए पुरस्कार विजेताओं को आने जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।

8. सामान्य सूचना :-

- (i) जिस लेखक की पुस्तक को इस योजना में पुरस्कार के लिए चुना जाएगा, उसका अपनी पुस्तक पर कॉपीराइट बना रहेगा।
- (ii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के एक से अधिक लेखक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
- (iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. प्रविष्टि भेजने की विधि :-


- (i) प्रविष्टियाँ पूरी तरह से भरे हुए प्रविष्टि प्रपत्र (अनुबंध) के साथ भेजी जाएँ।
- (ii) प्रविष्टि प्रपत्र के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजी जाएं। इस योजना के अंतर्गत भेजी गई पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी।
- (iii) इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय में प्रविष्टि प्राप्त होने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2020 है। इस तारीख के बाद मंत्रालय में प्राप्त होने वाली प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
- (iv) इस योजना के बारे में सूचना और प्रविष्टि प्रपत्र हमारी वेबसाइट www.shipmin.gov.in पर भी उपलब्ध है।

10. प्रविष्टि भेजने का पता :-

पूरी तरह से भरे हुए प्रविष्टि प्रपत्र के साथ प्रविष्टि 30 अप्रैल, 2020 या उससे पहले नीचे दिए गए पते पर प्राप्त हो जानी चाहिए :-

संयुक्त सचिव (पोत परिवहन / राजभाषा),
पोत परिवहन मंत्रालय,
परिवहन भवन,
1, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें। इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों से भी अनुरोध है कि जनसाधारण की सूचना के लिए इस योजना को अपने-अपने कार्यालयों की वेबसाइट के होम पेज पर 30 अप्रैल, 2020 तक रखें और इसे अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों, यदि कोई हो, में भी परिचालित करवाएं।



(निर्मला पाहवा)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष: 011-23318215

ई-मेल : nirmala.pahwa@gov.in

सेवा में,

1. पोत परिवहन मंत्रालय के सभी अधिकारी / अनुभाग ।
2. पोत परिवहन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए इसे अपनी-अपनी गृह पत्रिकाओं, यदि कोई हो, के आगामी अंक में प्रकाशित करें।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
4. एन आई सी, पोत परिवहन मंत्रालय से अनुरोध है कि इस योजना को मंत्रालय की वेबसाइट के अंग्रेजी के होम पेज पर अपलोड कर दें तथा इसे 30 अप्रैल, 2020 तक रखा जाए।

प्रविष्टि प्रपत्र

भारतीय पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना: वर्ष 2018-19

1.	पुस्तक का शीर्षक	
2.	क्या पुस्तक मौलिक रूप से लिखी गई है अथवा अनूदित है?	
3.	पुस्तक का विषय क्या है	
4.	लेखक/लेखकों के नाम	
	पूरा पता	
	दूरभाष/मोबाईल नं.	
	ई-मेल पता	
5.	पुस्तक के प्रकाशक का ब्यौरा	
	1. प्रकाशक का नाम	
	2. प्रकाशक का पूरा पता	
	3. पुस्तक का मूल्य	
	4. प्रकाशन वर्ष (तिथि और माह सहित)	
	5. कॉपीराइट किसके अधीन है	
6.	क्या यह पुस्तक पहले किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजी गई थी ? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें :-	
	1. किस वर्ष भेजी गई	
	2. किस प्रतियोगिता में भेजी गई (पूरा पता)	
	3. क्या इसे कोई पुरस्कार प्रदान किया गया?	
7.	मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :	
	1. मैं /हम भारत के नागरिक हैं।	
	2. मैंने /हमने यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी है। अथवा मैंने/हमने यह पुस्तक अन्य भाषा से हिंदी भाषा में अनूदित की है तथा इसके लिए मूल पुस्तक के लेखक से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है।	
	3. इस योजना के अंतर्गत मेरी/हमारी पुस्तक के शामिल किए जाने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।	
	4. मैंने / हमने यह पुस्तक अपनी शासकीय हैसियत / अपने शासकीय दायित्व के रूप में लिखी/अनूदित नहीं की है।	
	5. इस पुस्तक में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों के लिए मैं/हम जिम्मेदार होंगे।	
	6. यह पुस्तक इस योजना में पहले नहीं भेजी गई है।	

मैं/हम इस योजना के प्रावधानों / निबंधनों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर

स्थान.....

तिथि.....